

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 96/2024  
वाद पत्र अं० धारा 88 आर.टी.ए.

राकेश कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़ (राज.)

-वादी

बनाम्

1. कमला देवी पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. जयवन्ती देवी पुत्री लालचन्द पत्नी विजय सिंह जाति जाट निवासी उम्मेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुनीता पुत्री लालचन्द पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी सावन्तसर तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. उर्मिला पुत्री लालचन्द पत्नी राज कुमार जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. सविता पुत्री लालचन्द पत्नी बलवीर सिंह जाति जाट निवासी शेरेवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

-प्रतिवादीगण

उपरिस्थित :-

1. श्री आत्मा सिंह गोदारा - वकील वादी
2. श्री भरत गोदारा - वकील प्रति.सं. 1 ता 5

निर्णय

दिनांक :- 6.8.2024

वादी राकेश कुमार ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत खाता तक्सीम के तहत अन्तर्गत धारा 88 इस न्यायालय में पेश किया जिसमें कथन किया है यह कि वादी व प्रतिवादी सं. 2 सं. 1 ता 5 एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है प्रतिवादी सं. 1 वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 की माता है प्रतिवादी सं. 2 ता 5 वादी की सगी बहिने हैं। प्रतिवाद सं. 2. ता 5 प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के पति/पिता (लालचन्द पुत्र डूंगरराम) के नाम व चक नं. 17 बीजीपी के खाता सं. 232/152 जं.सं. 2072-2075 में 1286/15433 हिस्सा व चक नं. 16 बीजीपी के खाता सं. 51/59 जं.सं. 2070-2073 में 1/24 हिस्सा व चक नं. 10 एएमपी के खाता सं. 112/44 जं.सं. 2070-2073 में 485/5819 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक नं. 17 बीजीपी के खाता सं. 232/152 जं.सं. 2072-2075 में 5/122 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को विरासतन प्राप्त होने वाली भूमि है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने उक्त भूमि में अपना विरासतन प्राप्त हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। इसलिए वादी चक नं. 17 बीजीपी के खाता सं. 232/152 जं.सं. 2072-2075 में व चक नं. 16 बीजीपी के खाता सं. 51/59 जं.सं. 2070-2073 में व चक नं. 10 एएमपी के खाता सं. 112/44 जं.सं. 2070-2073 में वादी के नाम दर्ज भूमि को अपना खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

महायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

लगपत्तार-2-

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद वाद

दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने वादी के साथ राजनीमा होना जाहिर कर राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया गया। वकील वादी द्वारा बतौर साक्ष्य शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण का आपसी राजीनामा हो चुका है इसलिए मुताबिक राजीनामा वादी चक नं. 17 बीजीपी के खाता सं. 232/152 जं.सं. 2072-2075 में 1286/15433 हिस्सा व चक नं. 16 बीजीपी के खाता सं. 51/59 जं.सं. 2070-2073 में 1/24 हिस्सा व चक नं. 10 एएमपी के खाता सं. 112/44 जं.सं. 2070-2073 में 485/5819 हिस्सा की कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार किया जावे।

प्रतिवादीगण के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने राजीनामा प्रस्तुत किया है। इसलिए वादी का वादपत्र व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का राजीनामा का उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के पति/पिता (लालचन्द पुत्र डूंगरराम) के नाम चक नं. 17 बीजीपी के खाता सं. 232/152 जं.सं. 2072-2075 में 1286/15433 हिस्सा व चक नं. 16 बीजीपी के खाता सं. 51/59 जं.सं. 2070-2073 में 1/24 हिस्सा व चक नं. 10 एएमपी के खाता सं. 112/44 जं.सं. 2070-2073 में 485/5819 हिस्सा की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व शेष खाता बदस्तूर रखा जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फ़ैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना-अपना अलग वहन करेगे।

नोट:- बैंक ऋण मुक्त होने पर डिक्री का अमल दरामद किया जावें।  
निर्णय आज दिनांक 6.8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( राकेश कुमार मीना )  
साहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिष्ठाता संगरिया

संगरिया

डिक्री व मुकदमों के आदेश  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 96/2024  
वाद पत्र अंघारा :- 88 आरटीए

राकेश कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़ (राज.)

-वादी

बनाम

1. कमला देवी पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़ (राज.)
2. जयवन्ती देवी पुत्री लालचन्द पत्नी विजय सिंह जाति जाट निवासी उम्मेवाला तहसील  
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुनीता पुत्री लालचन्द पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी सावन्तसर तहसील  
पदमपुर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. उर्मिला पुत्री लालचन्द पत्नी राज कुमार जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. सविता पुत्री लालचन्द पत्नी बलवीर सिंह जाति जाट निवासी शेरवाला तहसील अबोहर  
जिला फाजिल्का (पंजाब)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

-प्रतिवादीगण

दिनांक :- 6.8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल क्लर्क रोबरू हमारे बहाजरी श्री आत्मा सिंह वकील वादी व श्री भरत गोदारा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के पति/पिता (लालचन्द पुत्र डूंगरराम) के नाम चक नं. 17 बीजीपी के खाता सं. 232/152 जं.सं. 2072-2075 में 1286/15433 हिस्सा व चक नं. 16 बीजीपी के खाता सं. 51/59 जं.सं. 2070-2073 में 1/24 हिस्सा व चक नं. 10 एएमपी के खाता सं. 112/44 जं.सं. 2070-2073 में 485/5819 हिस्सा की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष खाता बदस्तूर रखा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

नोट- बैंक ऋण मुक्त होने पर डिक्री का अमल दरामद किया जावे।

निज  नल  मुब्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा मुकदमें के

नय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक  अदा करें।

वसूल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.8.2024 जारी किया गया।

( राकेश कुमार मीना )

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया